न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0 सं0 06/2024

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह
(R.A.S)

उनवान

1. कृष्ण कुमार पुत्र चन्द्रपाल
2. महावीरी पत्नी चन्द्रपाल } जातियान जाट नि0 ग्राम बरौलीचौथ तहसील व जिला डीग

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बावत बावत कायम कराये जाने पत्थरगढी एवं पुख्ता निशानात

निर्णय **दिनांकः 23.10.2024**

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत बावत कराये जाने पत्थर एवं पुख्ता निशानात** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1478/481/0.13,हैक्टेयर 1476/479/0.02, हैक्टेयर स्थित ग्राम पूँछरी तहसील डीग प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी का अपने सह हिस्सेदारान से बंटवारा कराकर पृथक से बटा नम्बर डाले गये है जिन पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर उक्त खेतों की डौल मेंड कायम है। लेकिन प्रार्थीगण के उक्त खेतों से भिडे हुए अन्य सहखातेदार आये दिन प्रार्थीगण की निर्बल स्थिति को देखते हुए विभाजन के बाद कायम डौल मेंड एवं पैमाईश को नहीं मानते है और प्रार्थीगण के खेतों में अन्दर घुसकर नवीन डौल कायम करना चाहते है जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। प्रार्थीगण से प्रार्थी संख्या 01 पूर्ण विकलांग है तथा प्रार्थी संख्या 02बृद्व महिला है। जिस कारण अडौस में स्थित खेतों के खातेदार आये दिन प्रार्थीगण के खेतों की डौल मेंड को नुकसान पहुंचाते है और डौल मेंड तोडकर प्रार्थी के खेतों में खडी फसल को नुकसान पहुंचाते है जिस बावत कई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इसलिए प्रार्थीगण अपने उक्त खेतों की पैमाईश कराकर पुख्ता निशान सीमाचिन्ह कायम कराना चाहते है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बरान 1478/481/0.13 हैक्टेयर, 1476/479/0.02 हैक्टेयर स्थित ग्राम पूँछरी तहसील डीग की पैमाईश कराकर पुख्ता निशानात(पत्थरगढी) कायम किये जाने की अज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया जाकर रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 15.10.2024 में वर्णित किया गया है कि "आराजी खसरा नम्बर 1478/481/0.13 व 1476/479/0.02 किता–2, वाके ग्राम पूँछरी तहसील डीग के खाता संख्या 316 पर कृष्ण कुमार पुत्र चन्द्रपाल हिस्सा 4/5 महावीरी पत्नी चन्द्रपाल हिस्सा 1/5 जाति जाट नि0 बरौलीचौथ दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की पैमाईश व निशानात दिनांक 19.06.2024 को ही लगा दिये गय है किन्तु इनसे लगे हुए खसरा नम्बर 1477/481 व 475/479 जोकि इनके परिवारजन के हरफूल पुत्र गणेशी हि0 पूर्ण दर्ज है,जोकि सीमाज्ञान से सन्तुष्ट नहीं है तथा इसी कारण मैंड सम्बन्धी विवाद है।"

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बरान 1478/481/0.13 हैक्टेयर, 1476/479/0.02 हैक्टेयर स्थित ग्राम पूँछरी तहसील डीग का सीमाज्ञान दिनांक 19.06.2024 को कराया जा चुका है तथा पत्थरगढी कायम किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
(डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट, पत्थर गढी स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बरान 1478/481/0.13 हैक्टेयर, 1476/479/0.02 हैक्टेयर स्थित ग्राम पूँछरी तहसील डीग में पत्थरगढी कायम किये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128, एल.आर.एक्ट(पत्थरगढी) स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 1478/481/0.13 हैक्टेयर, 1476/479/0.02 हैक्टेयर स्थित ग्राम पूँछरी तहसील डीग की पत्थरगढी कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णयानुसार तहसीलदार डीग नियमानुसार कार्यवाही संपादित करावें।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

Scanned with OKEN Scanner